### GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. AND LUXURY TAX L & N BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No. F.10 (56)/96-97/IMFL/EX./PF./1878-1895 Dated: 06/11/2024

#### **ORDER**

In pursuance of the provisions of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that the following date shall be observed as "Dry Day" in the National Capital Territory of Delhi by all L-1, L1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-8, L-9, L-10, L-11, L-14, L-18, L-18F, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-31, L-32, L-33, L-34, L-35 licensees of the Excise Department and opium vends located in Delhi:-

S.No	Occasion					Date	Day
1.	Pratihar	Shashthi	or	Surya	Shashthi	07.11.2024	Thursday
	(Chhat P						

The licensees shall not be entitled to any compensation on account of any changes effected in the above list.

All the licensees shall exhibit this order at some conspicuous place of their licensed premises.

The business premises of a licensee shall be kept closed on dry day.

(RAVI JHA)
COMMISSIONER (EXCISE)

No. F.10 (56)/96-97/IMFL/EX./PF./ 1898 - 1898 Dated: 06/11/2024

## Copy forwarded to:-

- 1. The Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi.
- 2. The Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi
- 3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 4. The Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Addl. Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi.
- 6. The Commissioner of Police, NCT of Delhi
- 7. The Divisional Commissioner-Cum-Secretary (Revenue) NCT of Delhi
- 8. The Director of Information and Publicity for wide publicity
- 9. The Under Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi
- 10. The Dy. Commissioner (Taxes/Excise), Deptt. Of Excise, Entt. & Luxury Tax.
- 11. The A.C. (ESCIMS) for uploading the same on the online portal through IT.
- 12. The A.C. (Permit) for necessary action.
- 13. In-charge Computer Cell for uploading the same on the website of the Excise Department.
- 14. All the Branch Officers, Excise Department, Delhi with the request to circulate this order to all the licensees under their control.
- 15. All Excise Inspectors/Sub Inspectors for ensuring strict compliance.
- 16. The Managing Director, DSIIDC, DTTDC, DSCSC and Administrator, DCCWS.
- 17. All licensees.

18. Guard File.

(JITENDRA AGRAWAL)
DEPUTY COMMISSIONER (EXCISE)

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालय आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर एल एवं एन ब्लॉक, विकास भवन, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली—110002

फा0 सं0 10(56)/96-97/आईएमएफएल/आब0/पार्ट फाइल/1878-189 दिनांक : 06/11)2014

#### आदेश

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि दिल्ली में स्थित आबकारी विभाग के सभी एल—1, एल1एफ, एल—2, एल—3, एल—4, एल—5, एल—6, एल—6एफजी, एल—6एफई, एल—8, एल—9, एल—10, एल—11, एल—14, एल—18, एल—18एफ, एल—23, एल—23एफ, एल—25, एल—26, एल—31, एल—32, एल—33, एल—34, एल—35 लाइसेंसधारियों तथा अफीम विक्रेताओं द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित तिथि को "शुष्क दिवस" (ड्राइ डे) माना जाएगा :—

क्र0सं0	अवसर	तिथि दिन		
1	प्रतिहार षष्ठी या सूर्य षष्ठी (छठ पूजा)	07.11.2024	वीरवार	

लाइसेंसधारी उपरोक्त सूची में किए गए किसी भी परिवर्तन के कारण किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

सभी लाइसेंसधारियों को अपने लाइसेंस प्राप्त परिसरों के किसी विशिष्ट स्थान पर इस आदेश को प्रदर्शित करना होगा।

लाइसेंसधारी का व्यावसायिक परिसर शुष्क दिवस पर बंद रखा जाएगा।

(रवि झा)

आयुक्त (आबकारी)

# फा० सं० 10(56)/96-97/आईएमएफएल/आब०/पार्ट फाइल/1878-1895 दिनांक : ०६| ६। २०२५ प्रतिलिपि निम्न को अग्रेषित :--

- प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, राज निवास, दिल्ली।
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। 2.
- सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। 3.
- मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। 4.
- अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। 5.
- पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
- मंडलीय आयुक्त-सह-सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 7.
- सूचना एवं प्रचार निदेशक को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
- अवर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 10. उपायुक्त (कर / आबकारी), आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग।
- 11. ए०सी० (ईएससीआईएमएस) को आईटी के माध्यम से इसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।
- 12. ए०सी० (परमिट) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- 13. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को आबकारी विभाग की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने हेतु।
- 14. समस्त शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग, दिल्ली को इस आदेश को अपने नियंत्रण के अन्तर्गत समस्त लाइसेंसधारियों को प्रसारित करने के अनुरोध के साथ।
- 15. समस्त आबकारी निरीक्षक / उप-निरीक्षकों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
- 16. प्रबंध निदेशक, डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीएससीएससी और प्रशासक, डीसीसीडब्ल्यूएस।
- 17. समस्त लाइसेंसधारी।
- 18. गार्ड फाइल।

उपायुक्त (आबकारी)